

## विकसित भारत में महिला सुरक्षा: एक चुनौती

अंशु शर्मा

शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, गोकुल दास हिंदू गर्ल्स डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद (उ.प्र.)  
महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

प्रो. (डॉ.) मीनाक्षी शर्मा

विभागाध्यक्षा, राजनीति विज्ञान विभाग, गोकुल दास हिंदू गर्ल्स डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद (उ.प्र.)  
महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

### सारांश

‘विकसित भारत’ की परिकल्पना केवल आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विस्तार और तकनीकी उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता और मानवीय गरिमा की स्थापना से भी जुड़ी हुई है। इस संदर्भ में महिला सुरक्षा विकसित भारत की अवधारणा का एक अनिवार्य और केंद्रीय घटक है। जब तक महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त वातावरण प्राप्त नहीं होगा, तब तक किसी भी राष्ट्र को वास्तविक अर्थों में विकसित नहीं माना जा सकता। भारतीय समाज में संवैधानिक प्रावधानों, सख्त कानूनों और सरकारी योजनाओं के बावजूद महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर भेदभाव तथा साइबर अपराध जैसी समस्याएँ निरंतर बनी हुई हैं। यह शोध-पत्र विकसित भारत की यात्रा में महिला सुरक्षा को एक गंभीर चुनौती के रूप में विश्लेषित करता है। इसमें महिला सुरक्षा की अवधारणा, वर्तमान सामाजिक स्थिति, कानूनी एवं संस्थागत ढाँचे की प्रभावशीलता तथा उनके क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन किया गया है। साथ ही, पितृसत्तात्मक मानसिकता, लैंगिक असमानता, जागरूकता की कमी और न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताओं जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों को भी रेखांकित किया गया है। शोध में यह भी स्पष्ट किया गया है कि तकनीकी विकास, डिजिटल प्लेटफॉर्म और शहरीकरण ने जहाँ एक ओर नए अवसर प्रदान किए हैं, वहीं दूसरी ओर महिला सुरक्षा से संबंधित नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं।

**मुख्य शब्द:** महिला सुरक्षा, विकसित भारत, लैंगिक समानता, सामाजिक चुनौती, कानूनी प्रावधान, समावेशी विकास

### भूमिका

‘विकसित भारत’ की अवधारणा समकालीन भारत की सबसे महत्वाकांक्षी और व्यापक सामाजिक-राजनीतिक परिकल्पनाओं में से एक है। इसका तात्पर्य केवल आर्थिक समृद्धि,

औद्योगिक विकास अथवा तकनीकी उन्नति से नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और सुरक्षा जैसे मूलभूत मूल्यों से भी गहराई से जुड़ी हुई है। किसी भी राष्ट्र के विकास का वास्तविक मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि वहाँ के नागरिक, विशेषतः महिलाएँ, कितनी सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त हैं। भारतीय समाज में ऐतिहासिक रूप से महिलाओं की स्थिति जटिल रही है, जहाँ एक ओर उन्हें देवी और जननी का स्थान दिया गया, वहीं दूसरी ओर व्यवहारिक स्तर पर वे असमानता, हिंसा और असुरक्षा का सामना करती रही हैं। इस सामाजिक संदर्भ में 'विकसित भारत' की संकल्पना तभी सार्थक हो सकती है जब महिला सुरक्षा को विकास की केंद्रीय शर्त के रूप में स्वीकार किया जाए।<sup>i</sup>

विकास के संकेतकों की चर्चा करते समय सामान्यतः आर्थिक वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक उत्पादन और तकनीकी नवाचारों को प्रमुखता दी जाती है। निस्संदेह, आर्थिक और तकनीकी विकास किसी भी राष्ट्र की प्रगति के महत्वपूर्ण आधार हैं, किंतु आधुनिक विकास विमर्श में मानव विकास को सबसे महत्वपूर्ण संकेतक माना गया है। मानव विकास सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, लैंगिक समानता और सामाजिक सुरक्षा जैसे तत्व शामिल होते हैं। यदि महिलाएँ भय, हिंसा और भेदभाव के वातावरण में जीवन यापन कर रही हों, तो आर्थिक और तकनीकी प्रगति भी खोखली प्रतीत होती है। अमर्त्य सेन ने विकास को स्वतंत्रताओं के विस्तार के रूप में परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया है कि सामाजिक सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बिना विकास अधूरा है। इस दृष्टि से महिला सुरक्षा मानव विकास का एक अनिवार्य संकेतक है।<sup>ii</sup>

महिला सुरक्षा का अर्थ केवल शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल सुरक्षा भी सम्मिलित है। महिला सुरक्षा का आशय ऐसे वातावरण से है जहाँ महिलाएँ बिना भय के घर, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थानों और डिजिटल मंचों पर स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। इसमें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, मानव तस्करी, साइबर अपराध और भेदभाव से मुक्ति शामिल है। इंदिरा जयसिंह के अनुसार, महिला सुरक्षा मूलतः मानवाधिकारों का प्रश्न है, क्योंकि असुरक्षा महिलाओं की गरिमा और स्वतंत्रता का हनन करती है। अतः महिला सुरक्षा को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या मानना एक सीमित दृष्टिकोण होगा।<sup>iii</sup>

विकास के अनिवार्य घटक के रूप में महिला सुरक्षा को मानने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि महिलाएँ समाज और अर्थव्यवस्था की सक्रिय सहभागी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम

बाजार, राजनीति और परिवार—हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी राष्ट्र की प्रगति को गति देती है। यदि महिलाएँ असुरक्षित होंगी तो उनकी भागीदारी सीमित हो जाएगी, जिसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय विकास पर पड़ेगा। बेत्सी हार्टमैन ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के बिना सतत विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए महिला सुरक्षा को विकास नीति के केंद्र में रखना अनिवार्य है।<sup>iv</sup>

इस शोध-पत्र का मुख्य उद्देश्य 'विकसित भारत' की अवधारणा के संदर्भ में महिला सुरक्षा की स्थिति का विश्लेषण करना है। इसमें यह समझने का प्रयास किया गया है कि आर्थिक और तकनीकी प्रगति के बावजूद महिला सुरक्षा किन चुनौतियों से जूझ रही है और इसके पीछे कौन-से सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थागत कारक जिम्मेदार हैं। साथ ही, यह शोध महिला सुरक्षा को विकास के अनिवार्य घटक के रूप में स्थापित करने की प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। वर्तमान समय में जब भारत स्वयं को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है, तब यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं और समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सुरक्षित महिला ही सशक्त समाज और विकसित भारत की वास्तविक आधारशिला है।

### **महिला सुरक्षा की वैचारिक एवं सैद्धांतिक पृष्ठभूमि:**

महिला सुरक्षा की अवधारणा का ऐतिहासिक विकास मानव समाज के विकासक्रम से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्राचीन समाजों में स्त्री की स्थिति कहीं मातृसत्तात्मक तो कहीं पूर्णतः पितृसत्तात्मक रही, परंतु अधिकांश ऐतिहासिक कालखंडों में स्त्रियों की सुरक्षा परिवार और समुदाय की नैतिक जिम्मेदारी मानी गई, न कि एक स्वतंत्र अधिकार के रूप में। आधुनिक युग में, विशेषकर औद्योगीकरण और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के विकास के साथ, महिला सुरक्षा को सामाजिक न्याय और अधिकारों के विमर्श से जोड़ा गया। मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने अपनी प्रसिद्ध कृति ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वूमन में यह तर्क दिया कि स्त्रियों की असुरक्षा उनके अधिकारों के दमन का परिणाम है, और सुरक्षा तभी संभव है जब उन्हें समान अधिकार और शिक्षा प्राप्त हो।<sup>v</sup> इस प्रकार महिला सुरक्षा की अवधारणा धीरे-धीरे नैतिक संरक्षण से अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की ओर विकसित हुई।

लैंगिक समानता और मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में महिला सुरक्षा को एक मौलिक मानवाधिकार माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणापत्र ने समानता, स्वतंत्रता और गरिमा को प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार घोषित किया, जिसमें महिलाएँ भी समान रूप से शामिल

हैं। अमर्त्य सेन ने विकास को स्वतंत्रताओं के विस्तार के रूप में परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया कि भय और हिंसा से मुक्त जीवन के बिना कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का वास्तविक उपयोग नहीं कर सकता।<sup>vi</sup> इस दृष्टि से महिला सुरक्षा केवल सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि मानवाधिकार उल्लंघन का प्रश्न बन जाती है, क्योंकि असुरक्षा महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता को सीमित करती है।

पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना महिला असुरक्षा की जड़ में स्थित एक प्रमुख कारक मानी जाती है। पितृसत्ता वह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता, संसाधन और निर्णय-निर्माण मुख्यतः पुरुषों के नियंत्रण में रहते हैं। इस व्यवस्था में महिलाओं को अधीनस्थ भूमिका में देखा जाता है, जिससे उनके विरुद्ध हिंसा और भेदभाव को सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। सिल्विया वाल्बी के अनुसार, पितृसत्ता केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य, बाजार और संस्कृति जैसी संस्थाओं में भी अंतर्निहित होती है।<sup>vii</sup> इस संरचना के रहते महिला सुरक्षा के प्रयास अक्सर सीमित और अस्थायी सिद्ध होते हैं।

नारीवादी दृष्टिकोण महिला सुरक्षा को सत्ता, संरचना और असमानता के व्यापक संदर्भ में देखता है। नारीवादी चिंतक यह मानते हैं कि महिला सुरक्षा का प्रश्न केवल कानून या दंड से हल नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए सामाजिक दृष्टिकोण और शक्ति-संतुलन में परिवर्तन आवश्यक है। सिमोन द बोउवार ने यह प्रतिपादित किया कि स्त्री 'जन्म से नहीं, बल्कि समाज द्वारा बनाई जाती हैं', और यही सामाजिक निर्माण उसकी असुरक्षा का कारण बनता है।<sup>viii</sup> नारीवादी दृष्टिकोण के अनुसार, महिला सुरक्षा तभी सुनिश्चित हो सकती है जब लैंगिक समानता को सामाजिक मूल्यों और संस्थागत ढाँचों में वास्तविक रूप से स्थापित किया

### **विकसित भारत की परिकल्पना और महिला:**

'विकसित भारत' की परिकल्पना समग्र, समावेशी और मानव-केंद्रित विकास की अवधारणा पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल उच्च आर्थिक वृद्धि या तकनीकी प्रगति तक सीमित न होकर सामाजिक समानता, न्याय और नागरिकों के जीवन-स्तर में गुणात्मक सुधार को सुनिश्चित करना है। 'विकसित भारत' मिशन का केंद्रीय लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को आर्थिक रूप से सुदृढ़, तकनीकी रूप से उन्नत तथा सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। इस मिशन की प्रमुख विशेषताओं में समावेशी विकास, लैंगिक समानता, मानव संसाधन विकास और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं। इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में महिलाओं की स्थिति

और उनकी सुरक्षा निर्णायक भूमिका निभाती है। यदि महिलाएँ असुरक्षित, वंचित या हाशिए पर हों, तो विकास की यह परिकल्पना अधूरी रह जाती है।<sup>ix</sup>

विकास में महिलाओं की भागीदारी किसी भी राष्ट्र की प्रगति का महत्वपूर्ण संकेतक मानी जाती है। महिलाएँ न केवल परिवार की आधारशिला हैं, बल्कि कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीति में भी सक्रिय योगदान देती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की श्रम भागीदारी दर अपेक्षाकृत कम रही है, जिसका एक प्रमुख कारण असुरक्षा, घरेलू दायित्वों का असमान बोझ और सामाजिक प्रतिबंध हैं। विकास तभी सतत और संतुलित हो सकता है जब महिलाएँ समान अवसरों के साथ सार्वजनिक जीवन में भाग लें। अमर्त्य सेन ने यह स्पष्ट किया है कि महिलाओं की एजेंसी और भागीदारी बढ़ने से न केवल उनके जीवन में सुधार होता है, बल्कि संपूर्ण समाज का कल्याण सुनिश्चित होता है।<sup>x</sup> अतः विकसित भारत की यात्रा में महिलाओं की सक्रिय और सुरक्षित भागीदारी एक अनिवार्य शर्त है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ महिलाओं की स्थिति विकास की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करती है। शिक्षा के क्षेत्र में महिला साक्षरता दर में सुधार हुआ है, किंतु उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में उनकी भागीदारी अभी भी असमान है। स्वास्थ्य के संदर्भ में मातृ मृत्यु दर, पोषण की कमी और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच महिला सशक्तिकरण में बाधक हैं। रोजगार के क्षेत्र में वेतन असमानता, असंगठित क्षेत्र में अधिक भागीदारी और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के लिए प्रमुख समस्याएँ बनी हुई हैं। बिना अग्रवाल के अनुसार, जब तक महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सुरक्षित एवं समान अवसर नहीं मिलते, तब तक विकास के दावे सामाजिक यथार्थ से मेल नहीं खाते।<sup>xi</sup> इस प्रकार विकसित भारत की परिकल्पना महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक सुधार की माँग करती है।

सुरक्षित वातावरण और विकास के बीच गहरा और प्रत्यक्ष संबंध है। सुरक्षा वह आधार है जिस पर स्वतंत्रता, भागीदारी और नवाचार का निर्माण होता है। यदि महिलाएँ भय, हिंसा और उत्पीड़न के वातावरण में जीवन यापन करती हैं, तो वे अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर पातीं। सुरक्षित वातावरण न केवल महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। मार्था नुसबौम ने अपनी क्षमता दृष्टि में यह तर्क दिया है कि सुरक्षा और गरिमा के बिना किसी व्यक्ति की

क्षमताएँ विकसित नहीं हो सकतीं।<sup>xii</sup> इसलिए महिला सुरक्षा को विकास की पूर्व-शर्त के रूप में देखना आवश्यक है।

### **भारत में महिला सुरक्षा की वर्तमान स्थिति:**

भारत में महिला सुरक्षा की वर्तमान स्थिति जटिल और बहुआयामी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में असुरक्षा के स्वरूप अलग-अलग हैं, किंतु दोनों ही क्षेत्रों में महिलाएँ विभिन्न प्रकार की हिंसा और भेदभाव का सामना कर रही हैं। शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन, कार्यस्थल और डिजिटल स्पेस में यौन उत्पीड़न तथा साइबर अपराध प्रमुख समस्याएँ हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू हिंसा, बाल विवाह, शिक्षा की कमी और सामाजिक रूढ़ियाँ महिला सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। ग्रामीण समाज में पितृसत्तात्मक नियंत्रण अधिक सशक्त रूप में विद्यमान है, जिससे महिलाएँ अपनी समस्याओं को प्रकट करने में भी संकोच करती हैं।<sup>xiii</sup>

कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थान और डिजिटल स्पेस में महिला असुरक्षा आधुनिक भारत की एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, असमान व्यवहार और पदोन्नति में भेदभाव महिलाओं की पेशेवर प्रगति को बाधित करते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़, पीछा करना और हिंसा महिलाओं की गतिशीलता को सीमित कर देती है। डिजिटल स्पेस, जो एक ओर अवसरों का माध्यम है, वहीं दूसरी ओर साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न और निजता के उल्लंघन के नए खतरे भी उत्पन्न करता है। इंदिरा जयसिंह के अनुसार, कानूनों के बावजूद संस्थागत उदासीनता और सामाजिक मानसिकता के कारण कार्यस्थल और सार्वजनिक जीवन में महिला सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है।<sup>xiv</sup>

घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और साइबर अपराध महिला असुरक्षा के सबसे व्यापक और गंभीर रूप हैं। घरेलू हिंसा अक्सर निजी क्षेत्र का विषय मानकर अनदेखी कर दी जाती है, जबकि यह महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। यौन उत्पीड़न सामाजिक कलंक और भय के कारण रिपोर्ट नहीं हो पाता, जिससे अपराधियों को प्रोत्साहन मिलता है। साइबर अपराध ने असुरक्षा को भौतिक सीमाओं से परे पहुँचा दिया है, जहाँ महिलाएँ अपने ही घरों में असुरक्षित अनुभव करती हैं।<sup>xv</sup>

सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ महिला सुरक्षा को और अधिक जटिल बना देती हैं। गरीबी, अशिक्षा, जाति और वर्ग आधारित भेदभाव महिलाओं की असुरक्षा को बढ़ाते हैं। निम्न आय वर्ग और हाशिए के समुदायों की महिलाएँ हिंसा और शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, क्योंकि उनके पास संसाधनों और न्याय तक पहुँच सीमित होती है। सिल्विया वाल्बी

ने यह रेखांकित किया है कि सामाजिक असमानताएँ पितृसत्ता को और मजबूत करती हैं, जिससे महिला सुरक्षा के प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं।<sup>xvi</sup> इस प्रकार भारत में महिला सुरक्षा की वर्तमान स्थिति यह स्पष्ट करती है कि विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सुरक्षा, समानता और सामाजिक न्याय को एकीकृत दृष्टि से संबोधित करना अनिवार्य है।

### **महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनी एवं संवैधानिक प्रावधान:**

भारतीय संविधान महिला सुरक्षा और लैंगिक समानता की सुदृढ़ आधारशिला प्रदान करता है। संविधान की प्रस्तावना समानता, न्याय और गरिमा की स्थापना का संकल्प व्यक्त करती है, जो प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 15(1) राज्य को लिंग के आधार पर भेदभाव से रोकता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, जिससे महिला सुरक्षा और संरक्षण हेतु सकारात्मक कदम उठाए जा सकें। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्यापक व्याख्या में गरिमापूर्ण एवं सुरक्षित जीवन का अधिकार भी सम्मिलित है। ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार, भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों, विशेषकर महिलाओं, को समानता और सुरक्षा प्रदान करना है।<sup>xvii</sup>

संवैधानिक प्रावधानों को व्यवहारिक रूप देने के लिए भारत में कई प्रमुख कानून बनाए गए हैं। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के माध्यम से बलात्कार, यौन उत्पीड़न, पीछा करना और तेजाब हमले जैसे अपराधों की परिभाषा को विस्तृत किया गया तथा दंड को कठोर बनाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकना और पीड़ितों को न्याय प्रदान करना था। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है तथा पहली बार घरेलू क्षेत्र को भी कानूनी हस्तक्षेप के दायरे में लाता है। इसी प्रकार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम ने महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने हेतु शिकायत निवारण तंत्र और निवारक उपायों को अनिवार्य किया। इंदिरा जयसिंह के अनुसार, ये कानून महिला सुरक्षा को निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में मान्यता प्रदान करते हैं, जो भारतीय विधिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।<sup>xviii</sup>

हालाँकि, इन कानूनों की प्रभावशीलता अनेक सीमाओं से घिरी हुई है। कानूनों के बावजूद अपराधों की निरंतरता यह दर्शाती है कि समस्या केवल विधायी नहीं, बल्कि सामाजिक और

संस्थागत भी है। पुलिस की संवेदनशीलता की कमी, मामलों की लंबी न्यायिक प्रक्रिया, सामाजिक कलंक और पीड़ितों पर समझौते का दबाव कानूनों के प्रभाव को कमजोर करते हैं। कई बार कानूनों का दुरुपयोग होने का तर्क भी सामने आता है, जिससे उनके क्रियान्वयन पर प्रश्नचिह्न लगते हैं। उमा चक्रवर्ती का मानना है कि जब तक कानून सामाजिक संरचनाओं और मानसिकताओं में परिवर्तन नहीं ला पाते, तब तक उनकी प्रभावशीलता सीमित ही रहेगी।<sup>xix</sup>

#### **सरकारी योजनाएँ एवं नीतियाँ:**

महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएँ और नीतियाँ लागू की गई हैं। इन पहलों का उद्देश्य त्वरित सहायता, संरक्षण, पुनर्वास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। महिला हेल्पलाइन सेवाएँ संकट की स्थिति में तत्काल सहायता प्रदान करती हैं, जबकि वन-स्टॉप सेंटर हिंसा पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त, पुलिस सुधारों के अंतर्गत महिला थानों की स्थापना, महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति और लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण जैसे कदम उठाए गए हैं। मृणालिनी सिन्हा के अनुसार, ये संस्थागत प्रयास राज्य की उस भूमिका को दर्शाते हैं, जिसमें वह महिलाओं की सुरक्षा का दायित्व स्वीकार करता है।<sup>xx</sup>

डिजिटल और तकनीकी समाधान भी महिला सुरक्षा के क्षेत्र में उभरते हुए महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं। मोबाइल ऐप्स, जीपीएस ट्रैकिंग, सीसीटीवी निगरानी और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल महिलाओं को त्वरित सहायता और निगरानी की सुविधा प्रदान करते हैं। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों की परिकल्पना भी इसी दिशा में एक कदम है। तथापि, तकनीकी समाधान तभी प्रभावी हो सकते हैं जब उनके साथ डिजिटल साक्षरता और संस्थागत तत्परता जुड़ी हो। मार्था नुसबौम का तर्क है कि तकनीक तभी मानव विकास में सहायक होती है जब वह मानवीय क्षमताओं और गरिमा को सुदृढ़ करे।<sup>xxi</sup>

योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति पर दृष्टि डालने पर कई चुनौतियाँ सामने आती हैं। संसाधनों की कमी, प्रशासनिक उदासीनता, जागरूकता का अभाव और निगरानी तंत्र की कमजोरी के कारण अनेक योजनाएँ अपेक्षित परिणाम नहीं दे पातीं। ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों में सेवाओं की पहुँच सीमित रहती है, जिससे लाभार्थी वर्ग वंचित रह जाता है। इस प्रकार, नीतियों और योजनाओं के बीच व्यवहारिक अंतर महिला सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी बाधा बना हुआ है।

### विकसित भारत में महिला सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ:

विकसित भारत की परिकल्पना के समक्ष महिला सुरक्षा से जुड़ी अनेक संरचनात्मक और वैचारिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। सामाजिक मानसिकता और पितृसत्तात्मक सोच आज भी महिलाओं को अधीनस्थ भूमिका में देखती है, जिससे हिंसा और असुरक्षा को मौन स्वीकृति मिल जाती है। लैंगिक संवेदनशीलता का अभाव परिवार, शिक्षा और सार्वजनिक संस्थानों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सिमोन द बोउवार के अनुसार, स्त्री की असुरक्षा उसके सामाजिक निर्माण का परिणाम है, जिसे बदले बिना स्थायी समाधान संभव नहीं।<sup>xxii</sup>

कानूनों का कमजोर क्रियान्वयन और पुलिस एवं न्यायिक प्रणाली की चुनौतियाँ महिला सुरक्षा को और जटिल बनाती हैं। मामलों के निपटारे में देरी, जाँच में लापरवाही और पीड़ितों के प्रति असंवेदनशील व्यवहार न्याय प्रणाली पर विश्वास को कमजोर करता है। इसके अतिरिक्त, तकनीकी विकास के साथ साइबर अपराध, ऑनलाइन उत्पीड़न और निजता के उल्लंघन जैसी नई चुनौतियाँ उभरकर सामने आई हैं, जिनसे निपटने के लिए वर्तमान तंत्र अक्सर अपर्याप्त सिद्ध होता है।

आर्थिक निर्भरता और अशिक्षा भी महिला असुरक्षा के प्रमुख कारण हैं। जिन महिलाओं के पास आर्थिक संसाधन और शिक्षा नहीं होती, वे हिंसा और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने में असमर्थ रहती हैं। गरीबी, जाति और वर्ग आधारित असमानताएँ इस स्थिति को और गंभीर बना देती हैं। बिना अग्रवाल के अनुसार, आर्थिक आत्मनिर्भरता और शिक्षा महिलाओं को न केवल सशक्त बनाती हैं, बल्कि उनकी सुरक्षा को भी मजबूत करती हैं।<sup>xxiii</sup>

समग्रतः, महिला सुरक्षा की ये चुनौतियाँ यह स्पष्ट करती हैं कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक और तकनीकी प्रगति से प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए सामाजिक चेतना, प्रभावी कानून, संवेदनशील प्रशासन और महिलाओं की शिक्षा एवं आर्थिक सशक्तिकरण का समन्वित प्रयास अनिवार्य है। सुरक्षित महिला ही विकसित और समावेशी भारत की वास्तविक पहचान बन सकती है।

### महिला सुरक्षा एवं तकनीकी विकास:

तकनीकी विकास ने महिला सुरक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएँ और समाधान प्रस्तुत किए हैं। 'स्मार्ट सिटी' की अवधारणा के अंतर्गत सुरक्षित सार्वजनिक परिवेश, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, निगरानी प्रणालियाँ और त्वरित आपात प्रतिक्रिया तंत्र को विकसित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में डेटा-आधारित प्रबंधन और रियल-टाइम मॉनिटरिंग के माध्यम से

सार्वजनिक स्थलों—जैसे परिवहन हब, बाज़ार और पार्क—में सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा रहा है। इससे न केवल अपराध-निवारण में सहायता मिलती है, बल्कि महिलाओं की निर्भीक गतिशीलता भी बढ़ती है, जो विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए आवश्यक है।

मोबाइल ऐप्स, सीसीटीवी, जीपीएस और साइबर निगरानी जैसे तकनीकी साधन महिला सुरक्षा के व्यावहारिक उपकरण बन चुके हैं। आपातकालीन मोबाइल ऐप्स एक बटन दबाते ही लोकेशन साझा कर सहायता पहुँचाने में सक्षम हैं, जबकि सीसीटीवी निगरानी अपराधों की रोकथाम और साक्ष्य संकलन में प्रभावी सिद्ध होती है। जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सार्वजनिक परिवहन और व्यक्तिगत सुरक्षा दोनों में उपयोगी है। साथ ही, साइबर निगरानी और ऑनलाइन शिकायत प्रणालियाँ डिजिटल अपराधों पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद करती हैं। हालांकि, इन प्रणालियों की सफलता संस्थागत तत्परता, डेटा गोपनीयता और त्वरित कार्रवाई पर निर्भर करती है।

सोशल मीडिया महिला सुरक्षा के लिए अवसर और खतरे—दोनों प्रस्तुत करता है। एक ओर यह जागरूकता, सहायता नेटवर्क और त्वरित सूचना-साझाकरण का मंच है, वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग और निजता के उल्लंघन जैसी चुनौतियाँ भी उत्पन्न करता है। इसलिए तकनीक का विवेकपूर्ण उपयोग और प्रभावी नियमन आवश्यक है।

इन सभी प्रयासों की आधारशिला डिजिटल साक्षरता है। जब तक महिलाएँ तकनीकी उपकरणों, साइबर सुरक्षा उपायों और डिजिटल अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगी, तब तक तकनीकी समाधान सीमित प्रभाव ही डाल पाएँगे। अतः महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी नवाचारों के साथ-साथ व्यापक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विकास अनिवार्य है।

#### **निष्कर्ष:**

विकसित भारत की परिकल्पना तभी सार्थक और पूर्ण मानी जा सकती है जब उसमें महिला सुरक्षा को केंद्रीय स्थान प्राप्त हो। आर्थिक प्रगति, तकनीकी उन्नति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लक्ष्य उस समय तक अधूरे रहते हैं, जब तक समाज की आधी आबादी भय, असुरक्षा और भेदभाव के वातावरण में जीवन यापन करने को विवश हो। इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि महिला सुरक्षा केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक मानसिकता, आर्थिक स्थिति और शासन-प्रशासन की संवेदनशीलता से गहराई से जुड़ा हुआ है। संविधान और कानूनों ने महिलाओं को अधिकार और संरक्षण प्रदान किए हैं, किंतु उनके प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं।

यह भी स्पष्ट है कि महिला सुरक्षा और विकास के मध्य घनिष्ठ एवं पारस्परिक संबंध विद्यमान है। सुरक्षित वातावरण महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है, जिससे मानव संसाधन का समुचित विकास होता है। इसके विपरीत, असुरक्षा महिलाओं की क्षमताओं को सीमित कर देती है और राष्ट्रीय विकास की गति को बाधित करती है। सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ, पितृसत्तात्मक सोच, कमजोर न्यायिक प्रक्रिया और नई तकनीकों के साथ उभरते अपराध इस समस्या को और जटिल बना देते हैं।

अतः महिला सुरक्षा के लिए एक समग्र और बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है, जिसमें कानून, शिक्षा, तकनीक, प्रशासन और सामाजिक चेतना का समन्वय हो। केवल दंडात्मक उपायों से नहीं, बल्कि मानसिकता परिवर्तन, लैंगिक संवेदनशीलता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और डिजिटल साक्षरता के माध्यम से ही स्थायी समाधान संभव है। अंततः यह कहा जा सकता है कि सुरक्षित महिला ही सशक्त परिवार, समृद्ध समाज और विकसित भारत की आधारशिला है। जब महिलाएँ भयमुक्त होकर अपने अधिकारों और क्षमताओं का प्रयोग कर सकेंगी, तभी भारत वास्तव में एक समावेशी, न्यायपूर्ण और विकसित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हो सकेगा।

### सन्दर्भ

- i. गुहा, रामचंद्र, रामचंद्र, इंडिया आफ्टर गांधी, हार्परकोलिन्स, नई दिल्ली, 2007, पृ. 512
- ii. सेन, अमर्त्य, अमर्त्य, डेवलपमेंट ऐज़ फ्रीडम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1999, पृ. 36
- iii. जयसिंह, इंदिरा, इंदिरा, लॉ एंड जेंडर जस्टिस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2011, पृ. 78
- iv. हार्टमैन, रीथिंकिंग डेवलपमेंट, जेड बुक्स, लंदन, 2016, पृ. 54
- v. वोल्स्टोनक्राफ्ट, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वूमन, पेंगुइन बुक्स, लंदन, 1992, पृ. 64
- vi. सेन, अमर्त्य, डेवलपमेंट ऐज़ फ्रीडम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1999, पृ. 152
- vii. वाल्बी, सिल्विया, द थ्योरी ऑफ पेट्रियार्की, बेसिल ब्लैकवेल, ऑक्सफोर्ड, 1990, पृ. 24
- viii. द बोडवार, सिमोन, द सेकेंड सेक्स, विंटेज बुक्स, न्यूयॉर्क, 2011, पृ. 301
- ix. यादव, ए., डेमोक्रेसी इन इंडिया: स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड परफॉर्मंस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2000, पृ. 219
- x. सेन, अमर्त्य, डेवलपमेंट ऐज़ फ्रीडम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1999, पृ. 191

- 
- xi. अग्रवाल, बीना, ए फ़ील्ड ऑफ़ हर ओन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1994, पृ. 87
- xii. नुसबौम, मार्था, वूमन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, 2000, पृ. 76
- xiii. कुमार, राधा, रूरल वूमन इन इंडिया, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2012, पृ. 143
- xiv. जयसिंह, इंदिरा, लॉ ऐंड जेंडर जस्टिस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2011, पृ. 112
- xv. शर्मा, अनीता, जेंडर एंड साइबर स्पेस, रूतलेज इंडिया, नई दिल्ली, 2018, पृ. 59
- xvi. वाल्बी, सिल्विया, द थ्योरी ऑफ़ पेट्रियार्की, बेसिल ब्लैकवेल, ऑक्सफोर्ड, 1990, पृ. 98
- xvii. ऑस्टिन, ग्रैनविल, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: कॉर्नरस्टोन ऑफ़ ए नेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1999, पृ. 75
- xviii. जयसिंह, इंदिरा, लॉ ऐंड जेंडर जस्टिस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2011, पृ. 134
- xix. चक्रवर्ती, उमा, जेंडरिंग कास्ट, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2003, पृ. 211
- xx. सिन्हा, मृणालिनी, स्पेक्टर्स ऑफ़ मदर इंडिया, इयूक यूनिवर्सिटी प्रेस, डरहम, 2006, पृ. 189
- xxi. नुसबौम, मार्था, वूमन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, 2000, पृ. 98
- xxii. द बोउवार, सिमोन, द सेकेंड सेक्स, विंटेज बुक्स, न्यूयॉर्क, 2011, पृ. 312
- xxiii. अग्रवाल, बीना, ए फ़ील्ड ऑफ़ हर ओन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1994, पृ. 121